

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

संचिका सं०-18/मुक०(विविध)-24/2024

पटना-15, दिनांक-

आदेश

विधि विभाग, के पत्रांक-6075 दिनांक-26.09.2024 द्वारा विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के पत्रांक-132 दिनांक-11.09.2024 द्वारा राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना SLP/LPA दायर किये जाने निमित्त बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के चतुर्थ अनुसूची के अन्तर्गत खण्ड (घ) विधिक मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन अन्तर्गत अंकित "टिप्पणी" के अनुपालनार्थ निम्नांकित पराधिकारियों का नामित किया जाता है :-

क्र० संख्या	पदा० का नाम एवं पदनाम	अधीनस्थ प्रशाखा	अभियुक्ति
01	श्री नवीन, अपर सचिव	प्रशाखा-04, 09, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 28 एवं 30	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं शोध संवर्ग का सम्पूर्ण स्थापना कार्य।
02	श्री संजीव कुमार सिन्हा, (अपर सचिव)	प्रशाखा-01, 02, 03, 05, 17, 18, 27, 29, 31 एवं 32	—
03	श्री मिथिलेश कुमार दिनकर, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)	प्रशाखा-12, 13 एवं 14	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (यांत्रिक) के स्थापना संबंधी कार्य।
04	श्री मनोज रमण, अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण)	निविदा से संबंधित विभिन्न मामलों से संबंधित संचिकाओं का उपस्थापन के सोपान में।	
05	श्री नन्द कुमार झा, अभियंता प्रमुख (सिंचाई सृजन)		
06	श्री कुमुद रंजन, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)	प्रशाखा-06, 07, 08, 11, 14, 15 एवं 16	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति सहायक अभियंता के ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/कालबद्ध एवं प्रवर कोटि का लाभ प्रदान किये जाने संबंधी कार्य, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) से मुख्य अभियंता (यांत्रिक) तक का सम्पूर्ण स्थापना कार्य हेतु। सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर सीधे नियुक्ति अभियंताओं का ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०
07	श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)	प्रशाखा-14, 19, 20, 21, 25 एवं 26	प्रशाखा-14 के अन्तर्गत HRMS नोडल पदाधिकारी का कार्य/प्रशाखा-25 एवं 26 के अधीनस्थ निविदा से संबंधित न्यायालयीय मामलों में प्रधान सचिव के समक्ष संचिका का उपस्थापन अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण तथा सिंचाई सृजन के माध्यम से किया जाता है।
08	श्री जकी अहमद खान, अधीक्षण अभियंता, (सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग)	प्रशाखा-33	—
09	श्री राजीव कुमार, निदेशक क्रय एवं विक्रय (अधीक्षण अभियंता स्तर)	प्रशाखा-34	—
10	श्री सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता (कमान्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)	प्रशाखा-35	—

02. उपर्युक्त पदाधिकारियों को बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के उपर्युक्त संदर्भित चतुर्थ अनुसूची के खण्ड (1) का अनुपालन करने हेतु आदेशित किया जाता है।

ह0/-

(संतोष कुमार मल्ल)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-18/मुक0(विविध)-24/2024

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री अंजनी कुमार सिंह, सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार, पटना को विधि विभाग के पत्रांक-6075 दिनांक-26.09.2024 के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजीव कुमार सिन्हा)

अपर सचिव।

ज्ञापांक:-18/मुक0(विविध)-24/2024

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री नवीन, अपर सचिव/ श्री संजीव कुमार सिन्हा, अपर सचिव/ श्री मिथिलेश कुमार दि।कर, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/ श्री मनोज रमण, अभियंता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निःसरण)/ श्री नन्द कुमार झा, अभियंता प्रमुख, (सिंचाई सृजन)/ श्री कुमुद रंजन, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ श्री आलोक कुमार संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ श्री जकी अहमद खान, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग/ श्री राजीव कुमार, निदेशक, क्रय एवं विक्रय (अधीक्षण अभियंता स्तर) श्री सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता (काडा), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

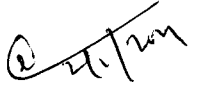
(संजीव कुमार सिन्हा)

अपर सचिव।

ज्ञापांक:-18/मुक0(विविध)-24/2024 25

/पटना, दिनांक- 02.01.2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचनार्थ प्रावैधिकी केन्द्र पटना को संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईड पर प्रकाशित कराने निमित्त प्रेषित।



अपर सचिव।